पंचायत समिति कांगड़ा, विकास खण्ड कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत पंचायत समिति कांगड़ा, विकास खण्ड कांगड़ा, जिला कांगड़ा के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण कार्य विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2024 से 31-03-2025 तक के दौरान पंचायत समिति कांगड़ा में निम्नलिखित अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सचिव कार्यरत रहे :-

1.मुख्य कार्यकारी अधिकारी

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री राजेश सिंह	01-04-2024 से 31-03-2025

2. अध्यक्षा

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमती बबीता संधु	01-04-2024 से 31-03-2025

3. सचिव

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री सुनील कुमार	01-04-2024 से 31-03-2025

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

पंचायत समिति कांगड़ा, विकास खण्ड कांगड़ा, जिला कांगड़ा के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है, जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से लाया जाता है:-

क्र० स०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
01.	नियमानुसार रोकड़ बहियों एवं बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के फलस्वरूप अन्तशेषों में बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना	05	38.51
02.	विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	06	94.32
03.	दुकानों के किराये की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	7.1	6.70
04.	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से बिना W, X फॉर्म प्राप्त किये अनुचित क्रय/भुगतान करने बारे।	8.1	1.56
05.	ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० व सेवाकर (GST) की कटौती न करने के कारण सरकारी राजकोष को वित्तीय हानि बारे	8.2	.0.17
06.	समिति द्वारा क्रय स्टोर/स्टॉक हेतु स्टॉक रजिस्टर/रजिस्टरों का रख-रखाव न करने एवं रोकड़ बहियों का संधारण नियमानुसार न करने बारे।	8.3	7.18

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न दर्शाई गई है। गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों पर कार्यवाही करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2025 दिनाँक 02-06-2025 व 22/2025 दिनांक 04-06-2025 द्वारा अनुरोध किया गया, परन्तु संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई जोकि संस्थान की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है एवं स्वतः आपत्तिजनक है।

अतः पंचायत समिति शेष लम्बित पैरों के निपटारे हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से यथा समय इस विभाग को भी अवगत करवाएँ ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

(I) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2019 से 03/2023 तक

1	पैरा-3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की पुष्टि उपरान्त)
2	पैरा-4(क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)

3	पैरा-4(ख)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
4	पैरा-4.2	अनिर्णीत	
5	पैरा-4.3	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
6	पैरा-5	अनिर्णीत	
7	पैरा- 6.1	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
8	पैरा- 6.2	अनिर्णीत	
9	पैरा- 6.3 (क,ख,ग)	अंशत: निर्णीत	(पैरा संख्या 6.3 क व ख,को पुन: वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाया गया है)
10	पैरा- 7	अनिर्णीत	
11	पैरा -8	अनिर्णीत	
12	पैरा -9	अनिर्णीत	
13	पैरा -10	अनिर्णीत	
14	पैरा -11	अनिर्णीत	
15	पैरा -12	अनिर्णीत	
16	पैरा -13	अनिर्णीत	
17	पैरा -14	अनिर्णीत	
18	पैरा -15	अनिर्णीत	
19	पैरा -16	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
20	पैरा -17	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

पंचायत समिति कांगड़ा, विकास खण्ड कांगड़ा, जिला कांगड़ा के अवधि 01/04/2024 से 31/ 03/2025 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री शिव कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक

02-06-2025 से 04-06-2025 तक पंचायत समिति कांगड़ा के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी अनुच्छेदों में समाविष्ट किया गया है :-

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**आय चयनित माह**	**व्यय चयनित माह**
1.	2024-2025	05/2024	09/2024

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

पंचायत समिति कांगड़ा, विकास खण्ड कांगड़ा, जिला कांगड़ा के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹3000/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट संख्या 592138 के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को प्रेषित करने हेतु कार्यकारी अधिकारी से अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 21/2025 दिनांक 04-06-2025 द्वारा अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

पंचायत समिति कांगड़ा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत समिति के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4. (क) स्व:-स्त्रोत व अनुदान पंचायत समिति कांगड़ा, के अवधि 04/2024 से 03/2025 तक स्व-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है:

1. स्व:-स्त्रोत

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2024-25	97256	4250	101506	55238	46268

2. अनुदान – 5th State

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2024-25	15110370.68	1164348	16274718.68	6842848	9431870.68

3. 15 वाँ वित आयोग :-

Financial Position 15th FC	**'पंचायत समिति कांगड़ा, विकास खण्ड कांगड़ा''**				
वित्तीय वर्ष	**अथ शेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अंतिम शेष**
2024-25	11602680.00	11246189.00	22848869.00	6926700.00	15922169.00

कुल योग (1+2+3)

अथशेष ₹ = 2,68,10,306.68 (97256 + 15110370.68+11602680.00)

अन्तिम शेष ₹ = 2,54,00,307.68 (46268 + 9431870.68+15922169.00)

(ख) पंचायत समिति कांगड़ा का दिनांक 01-04-2024 व 31/03/2025 को बैंक खातों में प्रारम्भिक व अन्तशेष का विवरण।

क्र०	**अनुदान का नाम**	**खाता संख्या**	**बैंक का नाम**	**अथशेष राशि 01-04-2024**	**अंतशेष राशि 31-03-2025**
1.	स्व: स्त्रोत	50070366856	KCCB	125494.24	88331.24
2.	5^{th} SFC	20033050884	KCCB	12133195.96	9736409.90
3.	5^{th} SFC	7858763910	Indian Bank	3508287.00	3456478.00
4.	5^{th} SFC	50100082208848	HDFC	3534455.00	47484.00
5.	15^{th} FC	140601000483	ICICI Kangra	12244225.00	17167380.00
			कुल योग	**31545657.2**	**30496083.14**

अन्तर (क-ख)

अथशेष ₹ = -4735350.52 (2,68,10,306.68 – 31545657.20)

अन्तिम शेष ₹ = -5095775.46 (2,54,00,307.68– 30496083.14)

नोट : 15 वें वित् आयोग से सम्बंधित आपत्तियों को विभाग द्वारा जारी दिशा – निर्देशों अनुसार ऑनलाइन ऑडिट के माध्यम से अलग से प्रस्तुत किया जाएगा।

5. **बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अथशेष व अन्तशेष में राशि ₹40.94 व ₹38.50 लाख का अन्तर।**

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत समिति कांगड़ा, द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **15(10)B** की अनुपालना में मासिक

आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि में दिनांक 01-04-2024 व 31-03-2025 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अथशेष व अन्तशेष में क्रमशः राशि ₹ **-4093805,52 व -3850964.46** का अन्तर बैंक पासबुक में अधिक जमा के रूप में पाया गया, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

इस अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या- 15/2025, 22/2025, 24/2025 दिनांक – 04-06-2025 के प्रतिउत्तर में कोई भी सूचना संस्था के द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक प्रस्तुत नहीं की गई, जोकि संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है एवं स्वत: आपत्तिजनक है। अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

6. विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹ 94.32 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म,कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 22** के अनुसार पंचायत समिति की निधियों का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए निधियां आबंटित की गई है तथा उनमें से व्यय, निदियाँ प्रदान करने वाली वित्त पोषण एजेन्सी की अपेक्षाओं और दिशा-निर्देशों के अनुसार किय जाएगा।

पंचायत समिति द्वारा **परिशिष्ट – 3** पर अनुदानों से सम्बधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2025 तक अनुदान के रूप में प्राप्त अनुदान राशियों में से **₹9431870.68** की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत समिति के माध्यम से करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत समिति पीछे है। यह अनियमितता सम्बंधित पंचायत समिति के कर्मचारियों व प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करता है।

अंकेक्षणावधि के दौरान इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या-23/2025 दिनांक 04-06-2025 के प्रतिउत्तर में कोई भी उत्तर संस्था के द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक प्रस्तुत नहीं किया गया, जोकि संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है एवं स्वत: आपत्तिजनक है।

अत: अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न कर पाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे वित्त पोषण एजेंसी की अपेक्षाओं एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त राशि को

व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.1 दुकानों के किराये की बकाया राशि ₹6.70 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म,कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 34(2)** के प्रावधानानुसार पंचायत समिति को देय किसी भी राशि को बिना पर्याप्त कारणों के परादेय / अदत्त (outstanding) नहीं रखा जाएगा।

पंचायत समिति कांगड़ा के अंकेक्षण में पाया गया कि, समिति द्वारा 10 दुकानें किराये पर दी गई थी। इनमें सभी दुकानों का किराया नियमित रूप से वसूल नहीं किया जा रहा था तथा दिनांक 31-03-2025 तक निम्नविवरणानुसार व **परिशिष्ट– 4** पर कुल राशि ₹ 670450/- वसूली हेतु शेष है :-

वितीय वर्ष	**अथशेष**	**दुकानों की संख्या**	**दर प्रति /दुकान (₹)**	**वर्ष के दौरान माँग (₹)**	**कुल योग (₹)**	**वर्ष के दौरान वसूली गई राशि (₹)**	**वसूली हेतु शेष बकाया राशि (₹)**
2024-25	490450	10	1500	180000	670450	0	670450

इस वित्तीय अनियमितता के सम्बध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025 दिनांक 03-06-2025 व 22/2025 दिनांक 04-06-2025 द्वारा पुनः स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था, जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उत्तर संस्था द्वारा नहीं दिया गया, जोकि संस्था का अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है एवं जिससे स्वतः स्पष्ट होता है कि पंचायत समिति अपने राजस्व की समय पर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। अतः किराये की नियमित उगाही न करने के कारणों से अवगत करवाते हुये किराये की बकाया राशि ₹ 670450/- की शीघ्र वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

इसके अतिरिक्त पंचायत समिति के बढ़ते बकाया राजस्व का मामला पंचायती राज विभाग, हि.प्र. के उच्चाधिकारियों के ध्यान में आवश्यक जाँच उपरांत तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाने हेतु विशेष रूप से लाया जाता है।

7.2 पंचायत समिति द्वारा किराये पर आबंटित दुकानों के सम्बन्ध में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे।

निदेशक एवं विशेष सचिव पंचायती राज विभाग, हि0प्र0-9 के आदेशानुसार जारी कार्यालय आदेश पृष्ठांकन संख्या पी0सी0एच-एचसी(7)(10) 180-30301- 30436 दिनांक 17.09.08 अनुसार ग्राम पंचायतों के व्यावसायिक परिसरों/भवनों को किराये पर देने के लिए निर्धारित शर्तों का पालन किया जाना अपेक्षित है। पंचायत समिति कांगड़ा द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना

के अनुसार समिति के पास कुल दस दुकानें हैं जोकि किरायेदारों को बिना किसी कमेटी गठन के आवंटित की गई थी एवं इन के सम्बन्ध में न कोई अभिलेख तैयार किये गए थे एवं न ही निम्न वर्णित सरकारी नियमों, आदेशों, अनुदेशों एवं शर्तों इत्यादि की अनुपालना नहीं की गई थी :-

1. किसी भी दुकान का किराया समय पर प्राप्त नहीं हो रहा था एवं इससे सम्बन्धित अभिलेखों/रजिस्टरों/खाताबही को तैयार नहीं किया जा रहा थी जिससे बकाया राशि, मांग इत्यादि को सत्यापित नहीं किया जा सका।

2. किराये का निर्धारण नियमानुसार नहीं किया गया था एवं किरायेदारों के साथ किये गए अनुबंधों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

3. पंचायत समिति की सम्पत्ति (दुकानों) को सरकारी दिशा-निर्देशों अनुसार किराये पर देने हेतु किसी भी कमेटी का गठन नहीं किया गया था।

दोहराई गई इन अनियमितताओं के सम्बध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025 दिनांक 03-062025 व 22/2025 दिनांक 04-06-2025 द्वारा पुन: स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था, जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उत्तर संस्था के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, जोकि संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है एवं स्वत: आपत्तिजनक है।

अत: इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से बिना (W,X) फॉर्म प्राप्त किये राशि ₹1.56 लाख का अनुचित क्रय/भुगतान बारे।

हि० प्र० माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियमों एवं निदेशक पंचायती राज व ग्रामीण विकास के पत्र संख्या-30-34307-2023/204192/1-General/2023-DB-(RD&PR)-XEN दिनांक 20-11-2023 द्वारा माननीय हाई कोर्ट के आदेशों CWP No. 868 of 2023 के अनुसार किसी कांट्रेक्टर/वेंडर से खनन सामग्री की आपूर्ति/क्रय करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित वैध ट्रांजिट पास (फॉर्म-W) या सप्लीमेंट्री ट्रांजिट पास (फॉर्म-X) उपलब्ध करवाने उपरान्त ही भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

पंचायत समिति कांगड़ा के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि समिति के अंतर्गत करवाए गए कार्यों हेतु संलग्न **परिशिष्ट " 5 "** के अनुसार राशि ₹ 155925/- का भुगतान प्रयुक्त रेत, बजरी व पत्थर का क्रय आपूर्तिकर्ताओं से बिना W, X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही किया गया जोकि न केवल उक्त सरकारी आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु बिना उक्त फॉर्मों के प्राप्त सामग्री के अवैध

खनन की संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता है तथा बिना फॉर्म प्राप्त किये सरकार को उक्त क्रय पर राशि की रॉयल्टी की वित्तीय हानि भी हुई है।

इस गम्भीर वित्तीय अनियमितता बारे जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 17/2025 व 22/2025 दिनांक 04-06-2025 के प्रतिउत्तर में कोई भी उत्तर संस्था के द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक प्रस्तुत नहीं किया गया, जोकि स्वत: आपत्तिजनक है। अत: उक्त प्रकरण से न केवल सरकारी राजस्व का वित्तीय रिसाव हो रहा है अपितु इस प्रकार से अवैध खनन के माध्यम से आपूर्ति से सरकारी आदेशों की भी स्पष्ट अवहेलना की जा रही है। यह एक गम्भीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है।

अत: अंकेक्षणावधि के दौरान नियमाविरुद्ध एवं समय-समय पर जारी आदेशों / निर्देशों की अवहेलना करते हुए कृत समस्त अनियमित भुगतानों को नियमानुसार समर्थित अपेक्षित अभिलेख द्वारा पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा उद्योग विभाग के नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये अन्यथा संबन्धित जिला खनन अधिकारी से इस प्रकरण को उठाते हुए तदानुसार कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.2 ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० व जी.एस.टी की कटौती न करने के कारण सरकार को राशि ₹ 0.17 लाख की वित्तीय हानि बारे।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(C) के अनुसार एवं वस्तु व सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 51(1) के अंतर्गत TDS की कटौती करना एवं उसे सरकारी कोष में समयबद्ध तिथि को जमा करवाना अनिवार्य है।

पंचायत समिति कांगड़ा के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि समिति द्वारा चयनित माह में संग्लन **परिशिष्ट "6 "** के अनुसार राशि ₹ 830310 /- का भुगतान किया गया था। परन्तु उक्त भुगतान करते समय स्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की गई थी। जोकि न केवल आयकर व GST अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना है अपितु इसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व को राशि ₹ 16,606/- (2%) की वित्तीय हानि हुई प्रतीत होती है। इस अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या- 16/2025,17/2025 व 22/2025 दिनांक 04-06-2025 के प्रतिउत्तर में कोई भी उत्तर संस्था के द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक प्रस्तुत नहीं किया गया, जोकि संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है एवं स्वत: आपत्तिजनक है।

अत: पंचायत समिति द्वारा टी.डी.एस की कटौती न करना, न केवल आयकर व GST अधिनियम की अवहेलना है परन्तु सप्लाईर/ठेकेदार को अनुचित लाभ देकर सरकारी राजस्व की भी हानि है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल नमूना/चयनित

माहों के ही भुगतानों को जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की विभागीय स्तर पर जाँच करके अपेक्षित टी.डी.एस.की वसूली करना सुनिश्चित करें एवं उक्त राशि व भविष्य में टी.डी.एस. की कटौती नियमित रूप से करके सरकारी कोष में निर्धारित समयावधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹ 7.18 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियमावली 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 के प्रावधानानुसार स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें/कुटेशन (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

पंचायत समिति के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत समिति कांगड़ा, द्वारा राशि ₹ **717597/-** के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "8"** में दिया गया है।) जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया। जिससे कि, पंचायत समिति को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के वित्त नियमों की अवहेलना भी की गई, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या- 18/2025 व 22/2025 दिनांक 04-06-2025 द्वारा उक्त प्रकरण समिति के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके के प्रतिउत्तर में कोई भी उत्तर संस्था के द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक प्रस्तुत नहीं किया गया, जोकि स्वत: आपत्तिजनक है। अत: इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना, की गई समस्त खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके सम्बधित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.4 संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही राशि ₹ 29.70 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)** के अनुसार पंचायत समिति द्वारा कोई भी भुगतान पंचायत

समिति के अध्यक्ष व सचिव दोनों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अदायगी आदेश अंकित करने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत समिति के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा **परिशिष्ट "7"** के अनुसार राशि ₹ **2970275/-** का भुगतान किया गया था परन्तु इन बिलों पर पारित प्रस्ताव संख्या अंकित नहीं थी तथा इनका भुगतान केवल विकास खंड अधिकारी/सीईओ के एकल हस्ताक्षर से ही कर दिया गया था, जोकि उक्त वित्तीय नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व संदिग्ध प्रतीत होता है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-19/2025 दिनांक 04-06-2025 व 22/2025 दिनांक 04-06-2025 के प्रतिउत्तर में कोई भी उत्तर संस्था के द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक प्रस्तुत नहीं किया गया, जोकि संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है एवं स्वत: आपत्तिजनक है।

अत: नियमाविरुद्ध किये गए भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत सुधारात्मक कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

8.5 पंचायत समिति द्वारा ग्राम पंचायत घुरकड़ी को हस्तांतरित राशि 3 लाख के करवाए गए कार्य के उपयोगिता प्रमाण पत्र व अन्य अभिलेख प्रस्तुत न करना।

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के प्रावधानानुसार संबन्धित पंचायत समिति सचिव अंकेक्षण को सुसंगत लेखे अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी होगा एवं हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत समिति को दिये गये अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है जिसके लिए अनुदान मंजूर किये गये हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किये हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

पंचायत समिति कांगड़ा के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा ग्राम पंचायत घुरकड़ी को वाउचर संख्या 15 दिनांक 20-08-2024 द्वारा राशि ₹3,00,000/- का हस्तांतरण किया गया था, परन्तु इससे सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं समर्थित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि उक्त राशि के व्यय की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या- 12 दिनांक 03-06-2025 व 22 दिनांक 04-06-2025 द्वारा पुन: स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था, जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उत्तर संस्था के द्वारा

प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: उक्त नियम प्रावधानों की अंकेक्षण के दौरान अनुपालना सुनिश्चित न कर पाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेखों को अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9.1 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करना।

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन्स हैं जिनसे पंचायत की दैनिक कार्रवाई जैसे कि, पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद, भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है।

पंचायत समिति कांगड़ा के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, समिति द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि समिति द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण किया गया था। लेकिन समिति द्वारा कोई भी कार्य उक्त एप्लीकेशन में नहीं किया जा रहा था जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या-19/2025 दिनांक 04-06-2025 व 22/2025 दिनांक 04-06-2025 के प्रतिउत्तर में कोई भी उत्तर संस्था के द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक प्रस्तुत नहीं किया गया, जोकि स्वत: आपत्तिजनक है। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये व की गई सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.2 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम, 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत समिति द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण ज्ञापन संख्या-08/2025 दिनांक 02-06-2025 व 22/2025 दिनांक 04-06-2025 द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए पुन: अनुरोध किया गया, लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक निम्न रजिस्टर/अभिलेख आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण/रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं तदानुसार कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को भी अवगत करवाया जाये।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)
2.	वर्गीकृत सार	08	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	बजट प्राक्कलन	11	37
5.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) AB
7.	अंकेक्षण प्रतिवेदन/प्रतिवेदनों रजिस्टर	30	89
8.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	95(1)
9.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)
10.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103

10. भण्डार का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **नियम 73** के अन्तर्गत पंचायत समिति के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत समिति कांगड़ा, की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि समिति द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी तिथि विशेष को वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस सन्दर्भ में ज्ञापन संख्या- 08/2025 दिनांक 02-06-2025 व 22/2025 दिनांक 04-06-2025 द्वारा भौतिक सत्यापना रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए पुनः अनुरोध किया गया, लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक भौतिक सत्यापना रिपोर्ट आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई । अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11. लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

12. **निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमितताएं की जा रही है। अतः लेखों में कड़े सुधार की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष 0177–2620046

19 JUL 2025

4572 - 4575 का० प्रति०

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल०ए०)एच(पंच)(15) (2) 257/2019 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा जिला काँगड़ा हि०प्र०।

पंजीकृत 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

19 JUL 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष 0177–2620046

का० प्रति०

(५क)

परिशिष्ट - 1 पैरा संख्या 7 के संदर्भ में

वित्तीय स्थिति स्व: स्त्रोत 2024-25 'पंचायत समिति कांगड़ा, विकास खण्ड कांगड़ा"					
वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2024-25	97256	4250	101506	55238	46268

नोट:- यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वितीय विवरणी के आंकड़े ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार है।

बैंक समाधान विवरणी (स्व: स्त्रोत)			
विवरण		प्रारम्भिक शेष 01-04-2024	अन्तिम शेष 31-03-2025
रोकड़ बही अनुसार राशि		97256	46268
बैंक अनुसार राशि		125494.24	88331.24
अन्तर (बैंक में अधिक)		**-28238.24**	**-42063.24**
बैंक का नाम	खाता संख्या		
KCCB	50070366856	125494.24	88331.24

Secretary
Panchayat Samitti Kangra (HP)

S.O.

15

परिशिष्ट - 2 पैरा संख्या 4 (क) से सम्बन्धित

वित्तीय स्थिति अनुदान – 5th State 2024-25 'पंचायत समिति कांगड़ा, विकास खण्ड कांगड़ा"					
वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2024-25	15110370.68	1164348	16274718.68	6842848	9431870.68
नोट:- यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वितीय विवरणी के आंकड़े ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार है।					

बैंक समाधान विवरणी (अनुदान – 5th State)			
विवरण		प्रारम्भिक शेष 01-04-2024	अन्तिम शेष 31-03-2025
रोकड़ बही अनुसार राशि		15110370.68	9431870.68
बैंक अनुसार राशि		19175937.96	13240771.90
अन्तर (बैंक में अधिक)		**-4065567.28**	**-3808901.22**
बैंक का नाम	खाता संख्या		
KCCB	20033050884	12133195.96	9736409.90
Indian Bank	7858763910	3508287	3456878
HDFC	50100082208848	3534455	47484
	Total	**19175937.96**	**13240771.90**

Secretary
Panchayat Samiti Kangra (HP)

16

परिशिष्ट - 3 पैरा संख्या (4) से सम्बन्धित

5th SFC FP "PS Kangra-2024-25"									
Sr. no	Month	Opening Balance	Receipt	Interest	Bank transfer	Total	Expenditure	Bank Transfer	Closing Balance
1	Apr-24	15110370.68	0	0	0	15110370.68	150160	0	14960210.68
2	May-24	14960210.68	0	0	0	14960210.68	42000	0	14918210.68
3	Jun-24	14918210.68	0	0	0	14918210.68	622671	0	14295539.68
4	Jul-24	14295539.68	0	0	0	14295539.68	48000	0	14247539.68
5	Aug-24	14247539.68	0	0	0	14247539.68	0	0	14247539.68
6	Sep-24	14247539.68	44520	206831	3508287	18007177.68	2970640	3508287	11528250.68
7	Oct-24	11528250.68				11528250.68	126701		11401549.68
8	Nov-24	11401549.68				11401549.68	364756		11036793.68
9	Dec-24	11036793.68				11036793.68	109239		10927554.68
10	Jan-25	10927554.68				10927554.68	205945		10721609.68
11	Feb-25	10721609.68	912997	0	0	11634606.68	1921322		9713284.68
12	Mar-25	9713284.68				9713284.68	281414		9431870.68
			957517	206831	3508287		6842848	3508287	

Note: It is certified that above mentioned figures are as per the E Gram Sawraj Portal Data.

17

परिशिष्ठ - 5, पैरा संख्या 7.1 से सम्बन्धित

कार्यालय पचांयत समिति कांगड़ा, विकास खण्ड कांगड़ा, जिला कागंडा (हि.प्र.)

दिनांक 31-03-2025 को दुकान किराया की बकाया राशि का विवरण

क्र० स०	वर्ष	अथशेष	दुकानों की संख्या	किराया प्रति माह	माँग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
1	**2024-25**	490450	10	1500	180000	670450	0	670450

Secretary
Panchayat Samiti Kangra (H.P.)

18

परिशिष्ट-5 पैरा संख्या 9.1 (8.1) से सम्बन्धित :-

Panchayat Samiti Kangra, DB Kangra

STATEMENT SHOWING THE DETAIL OF STONE ,SAND AGG, PURCHASE FROM VENDOR WITHOUT W,X FORM AND GST CHALLAN NOT PRODUCED IN AUDIT AND ALSO TDS ON GST NOT DEDUCTED

1	3	4	5	8	9	10	11
Sr No	Name of Vendor	Head	Voucher /Resolutaion No /Date	Material	Paid Amount	Amount to be Paid	GST Not Paid/Deducted
1	Ashish Sharma	5th SFC	23/25-09-2024	Sand	42000.0	41160.0	840.0
2	Tarsem Lal Soni	5th SFC	11/12-08-2024	stone 20 mm aggreate	22950.0	22491.0	459.0
3	Tarsem Lal Soni	5th SFC	11/12-08-2024	stone 20 mm aggreate	9975.0	9775.5	199.5
4	Ashish Sharma	5th SFC	11/12-08-2024	Sand	63000.0	61740.0	1260.0
5	Ashish Sharma	5th SFC	11/12-08-2024	Bolder Stone	18000.0	17640.0	360.0
					155925.0	152806.5	3118.5

Secretary
Panchayat Samiti Kangra (HP)

Note:- All the payments done by Block Development officer Without taking into confidence Panchayat Samiti.

परिशिष्ट - 6 पैरा संख्या 8.2 से सम्बन्धित

Statement Showing The Detail of Amount Paid to Various Suppliers on which TDS/GST Not Deducted						
SR. No	vr no/date	Name of Fund	Particular/ Detail Of Party	Discription Of Item	Gross Amount	TDS Amount
1	23/25-09-2024	5th SFC	M/s Uttam Chand and Sons	Steel	88416	1768.32
2	23/25-09-2024	5th SFC	M/s Uttam Chand and Sons	Steel	8452	169.04
3	23/25-09-2024	5th SFC	Ashish Sharma	Shuttering	40800	816
4	24/27/09/2024	5th SFC	Nishant Govt Contractor	Material	414453	8289.06
5	25/08-10-2024	5th SFC	Ashish Sharma	Sand	42000	840
6	08/31-07-2024	5th SFC	M/s Uttam Chand and Sons	Steel	5935	118.7
7	08/31-07-2024	5th SFC	M/s Uttam Chand and Sons	Steel	57915	1158.3
8	12/08-08-2024	5th SFC	M/s Uttam Chand and Sons	Steel	16414	328.28
9	23/25-09-2024	5th SFC	Ashish Sharma	Sand	42000.0	840
10	11/12-08-2024	5th SFC	Tarsem Lal Soni	stone 20 mm aggreate	22950.0	459
11	11/12-08-2024	5th SFC	Tarsem Lal Soni	stone 20 mm aggreate	9975.0	199.5
12	11/12-08-2024	5th SFC	Ashish Sharma	Sand	63000.0	1260
13	11/12-08-2024	5th SFC	Ashish Sharma	Bolder Stone	18000.0	360
				Total	**830310**	**16606.2**

Secretary
Panchayat Samiti Kangra (HP)

S.O.

Note:-

All the payments done by Block Development Officer Without taking into Confidence of Panchayat Samiti.

20

परिशिष्ट -7, पैरा संख्या (9.3) 8.3 से सम्बन्धित :-

Statement Showing The Detail Of Payment without Joint Signature of Chairman and CEO						
SR. No	**Voucher No./Date**	**Name of Fund**	**Particular/ Detail Of Party**	**Discription Of Item**	**Amount**	**REMARK**
1	8/31-7-2024	5th SFC	M/s Uttam chand and Sons	Steel	76792	
2	9/25-07-2024	5th SFC	Various labourer	MR-09/2024	30800	
3	10/02-08-2024	5th SFC	Various labourer	MR-11/2024	85452	
4	11/12-08-2024	5th SFC	Various suppliers	Material	82192	
5	12/12-08-2024	5th SFC	M/s Uttam chand and Sons	Steel	20158	
6	14/20-08-2024	5th SFC	HP State Civil Supply corporation	Cement	24000	
7	15/20-08-2024	5th SFC	Paid to GP Ghurkari on account of Additional amount for providing wire mesh fencing along the NH from Bus stop Ghurkari to main bridge	Fund Transfer	300000	
8	16/02-09-2024	5th SFC	HP State Civil Supply corporation	Cement	12000	
9	18/01-7-2024	5th SFC	Cheque issued against payment on 13-04-2022	NIL	687	
10	22/20-09-2024	5th SFC	Mustrol Payment	MR-12/2024	38738	
11	23/25-09-2024	5th SFC	Upgradation of panchayat samiti hall	Material	148739	
12	24/27-09-2024	5th SFC	Nishant Govt Contractor for beautification of development block kangra	contract bill payment	197632	
13	28	5th SFC	Paid to 47 No. GP on account of office Exp. for the year 2023-24	Fund Transfer	1880845	
14	29	5th SFC	Paid to 45 No. GP on account of Uniform Allowance to Panchayat Chowkidar for the year 2023-24 and 2024-25	Fund Transfer	72240	
				Total	**2970275**	

Secretary
Panchayat Samitti Kangra (HP)

Note:-
All the payment done by Block Development officer without taking into confidence of Panchayat Samiti.

21

परिशिष्ट - 8, पैरा संख्या 9.4 से सम्बन्धित

8.3

PANCHAYAT SAMITI KANGRA, DEV. BLOCK KANGRA, DISTT KANGRA					
Statement Showing The Detail Of Expenditure which Quotation/tender Not Called					
Sr No	Name of Vendoor	Head	Resolutaion No /Date	Material	Paid Amount
1	M/s Uttam chand and Sons	5th SFC	1542-1544/15.03.2024	Steel	106032
2	M/s Uttam chand and Sons	5th SFC	1542-1544/15.03.2024	Steel	10712
3	Tarsem Lal Soni	5th SFC	1542-1544/15.03.2024	Sand and stone Agg	23725
4	Nishant Govt Contractor	5th SFC	05 of 26/07/2024	Material	414453
5	Ashish Sharma	5th SFC	1542-1544/15.03.2024	Sand	42000
6	Tarsem Lal Soni	5th SFC	1542-1544/15.03.2024	Sand and stone Agg	23725
7	M/s Uttam chand and Sons	5th SFC	1542-1544/15.03.2024	Steel	7433
8	M/s Uttam chand and Sons	5th SFC	1542-1544/15.03.2024	Steel	69359
9	M/s Uttam chand and Sons	5th SFC	1542-1544/15.03.2024	Steel	20158
					717597

Secretary
Panchayat Samiti Kangra (HP)

Note:-

All the above payments done by Block Development officer. Without taking into confidence panchayat samiti Kangra.

22